

आभिलेख सं-डी0 ए0 जिस वाद सं0- 208B/2019-20
 केस का प्रकार-(छातानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b)
 मोला नाथ महतीआवेदक/विकेता
 बंनम
 लक्ष्मीमनी महतीकेता

विकेता :- मोला नाथ महती पिता स्व0 गोविन्द महती, ग्राम-बेडाकूर, ग्राम-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावा (झारखण्ड), जालि-कुर्मी।
 केता :- लक्ष्मीमनी महती पति श्री शिवा महती, ग्राम-बेडाकूर, ग्राम-राजनगर जिला-सरायकेला-खरसावा (झारखण्ड), जालि-कुर्मी।
 विकेता द्वारा दिनांक 15.02.2020 को आवेदन देकर छातानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत केता लक्ष्मीमनी महती पति श्री शिवा महती, ग्राम-बेडाकूर, ग्राम-राजनगर जिला-सरायकेला-खरसावा (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति मांगी गयी है :-

:: भूमि का विवरण ::

श्रीजा	शाना / शाना नं0	खाला सं0	प्लॉट सं0	रकबा
बेडाकूर	राजनगर/70	14	507	15.25है0
		14	214	40है0
		15	331	6.5है0
				61.75है0

उक्त आवेदन के आलोक में अचल अधिकारी, राजनगर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।
 अचल अधिकारी, राजनगर का पत्रांक 277 दिनांक 17.03.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

1. प्रस्तावित भूमि बिकेता के पिता के नाम से खतियान एवं पंजी-II में दर्ज है।
2. बिकेता अपने पिता के मृत्यु के पश्चात हिस्से की आधिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात बिकेता के पास रकबा-10.04.75 एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिकेता पारिवारिक खर्च हेतु भूमि बिक्री करना चाहता है।
5. बिकेता एवं केता दोनों एक ही जिला एवं जालि-कुर्मी है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

8

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राजनगर ने छोटानागपुर कारखाने की अनुमति देने की अनुरोध किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 15.02.2020 को निर्गत आम सूचना का तात्त्विक प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राजनगर के अनुरोधों के आलोक में बिकेला मौला नाथ महती पिता स्व० गोविन्द महती, ग्राम-बेडाकुंदर, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) केला लकड़ीमनी महती पति श्री शिवा महती, ग्राम-बेडाकुंदर, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा-61.75है० मुँसि बिकेला करने की अनुमति छोटानागपुर कारखाने की अधिनियम 1908 की धारा-46(1)b के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित मुँसि की बिकेला सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करे।

लेखापति,

मुँसि सुधार उप समाहती,
सरायकेला।

सरायकेला।

मुँसि सुधार उप समाहती,
9/1/2020